न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 104/2022 **दायर दिनांक: 01.07.2022**

उनवान

1. उदयराम पि. शिवलाल जाति कुल्मी नि. कडोदिया तहसील रायपुर

वादी

बनाम

1. रामेश्वर पि. उदेराम जाति कुल्मी नि. कडोदिया तहसील रायपुर
2. लालचन्द पि. उदेराम जाति कुल्मी नि. कडोदिया तहसील रायपुर
3. प्रबंधक बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुनेल
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड

प्रतिवादीगण

दावा धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—
वकील वादी :— श्री अशोक पाटीदार
वकील प्रतिवादी सं. 1, 2 :— श्री शेलेन्द्र सिंह जैन
प्रतिवादी सं. 3, 4 :— एकतरफा

निर्णय दिनांक : 06.12.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कडोदिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2074—77 के खाता सं. 45 के ख.नं. 1555, 1619, 801 की कुल किता 3 रकबा 0.5564 है. भूमि स्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 व 2 रामेश्वर व लालचन्द के खाते में दर्ज है जिसे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। वाद पत्र के पैरा सं. 1 में दर्ज आराजी वादी के स्वामित्व की होकर उसको उसके बापू दादाओं से मिली है जो कि वादी एवं उसके भाईयों गाविन्दराम, रमेशचन्द, दिनेशचन्द पिस. शिवलाल के संयुक्त खातेदारी में सं. 2070—73 की जमाबंदी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी अन्य खसरा नं. के साथ सं. 2070—73 में एक संयुक्त बडा खाता था जिसका वादी व उसके भाईयों के [illegible] बटवारा होने के बाद वादग्रस्त आराजी वादी के हिस्से में आई थी। [illegible] का नाम भी उदयराम पि. शिवलाल कुल्मी नि. कडोदिया होने एवं [illegible] के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

4. यह कि राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण वादी की अपने कब्जे काश्त

Scanned with OKEN Scanner

का नाम भी उदयराम पि. शिवलाल कुल्मी नि. कडोदिया होने से प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु होने के बाद खुले उनके फोती नामा. सं. 2159 दिनांक 22.07.2020 ग्राम कडोदिया में प्रतिवादीगण के अन्य खातो 46 व 49 के साथ साथ राजस्व कर्मचारियों की गलती व गलत जांच के कारण वादी के खाता सं. 45 में भी प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर इन्तकाल तस्दीक कर दिया जो कि गलत इन्द्राज किया है। जबकि खाता सं. 45 से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण वादी की अपने कब्जे काश्त की कृषि आराजी प रनाम नहीं होने से उसको काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। यह कि वादी ने अपने खाते की नकल प्राप्त की तो उसकी जानकारी में आया कि इसके खातेदारी की आराजी में प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम दर्ज हो गया है उसने पटवारी हल्का व तहसीलदार महोदय से सम्पर्क किया तो उसकी जानकारी में आया कि प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु के बाद खुले फोती नामा. के समय गलती से वादी एवं प्रतिवादी स. 1 व 2 के पिता का नाम समान होने से वादी के खाते की वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत दर्ज हुआ है जिसको शुद्ध कर वादी अपने खातेदारी में दर्ज कराने का कानूनन अधिकारी है। यह कि वादी की जानकारी में आने के बाद की वादी के खातेदारी की आराजी में प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम दर्ज हो गया है तो वादी ने नकल प्राप्त करने के बाद तहसीलदार महोदय से सम्पर्क किया तो वहां से पता लगा कि वापस वादी की खातेदारी में वादग्रस्त आराजी को दर्ज करने के लिए वाद पेश करना पडेगा यही वाद का कारण रहा है। यह कि प्रतिवादी सं. 3 के यहां आराजी रहने होने व प्रतिवादी सं. 4 के अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा इनतकाल खोलने व उनके तस्दीक करने पक्षकार बनाये गये है। वाद श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से वाद सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। वाद अवधि मध्य उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। वादी यह प्रार्थना करता है कि –

(अ) यह कि राजस्व ग्राम कडोदिया तहसील रायपुर की जमाबंदी खाता सं. 45 सं. 2074–77 पर ख.नं. 1555, 1619, 801 की [illegible] किता 3 रकबा 0.5564 है. आराजी के गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर [illegible] को खातेदार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(ब) अन्य न्यायोचित राहत जो भी न्यायालय उचित समझे वह भी दिलाई जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वादपत्र के तथ्यों को स्वीकार कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कडोदिया तहसील रायपुर की जमाबंदी खाता सं. 45 सं. 2074–77 पर ख.नं. 1555, 1619, 801 की कुल किता 3 रकबा 0.5564 है. आराजी गलती से हमारे खाते में दर्ज हो गई है। इस गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी सं. 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 14.10.2024 के अनुसार उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम कडोदिया के खाता सं. 45 की जमाबंदी सं. 2074–77 सन 2022 एवं 2024, खाता सं. 37 की जमाबंदी सं. 2070–73, ग्राम कडोदिया के नामा सं. 2187 दिनांक 23.10.2020, नामा.सं. 2216 दि. 15.07.2021, नामा.सं. 2159 दि. 29. 07.2020 की नकले एवं बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का रहन मुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं न्यायिक दृष्टांत मनमल बनाम अशोक कुमार आरआरटी 2024(1) पंज सं. 344 एवं प्यारेलाल बनाम सुभेन्द्र पलानिया एआईआर 2019 एससी 1930 पेश किये गये।

4. अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता उदयराम पुत्र शिवलाल कुल्मी के फोत होने पर राजस्व कार्मिकों द्वारा उनका फोती इन्तकाल खोलते समय प्रतिवादीगण के पिता उदयराम पुत्र शिवलाल कुल्मी के खाते की आराजी खाता सं. 46 व 49 के साथ साथ वादी उदयराम पुत्र शिवलाल कुल्मी के खाते की आराजी खाता सं. 45 में भी त्रुटीवश फोती इन्तकाल दर्ज कर दिया गया। **प्रतिवादीगण के पिता एवं वादी दोनो का नाम उदयराम पुत्र शिवलाल जाति कुल्मी नि. कडोदिया होने से राजस्व कार्मिकों ने मृतक की जांच पडताल किये बिना लापरवाही पूर्वक वादी को मृत मानकर फोती इन्तकाल तस्दीक**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

कर दिया जो कि प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने से खारीज किये जाने योग्य है। तहसीलदार या राजस्व कार्मिको को वादी को सुने बिना उसके खाते की भूमि पर गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादीगण के पक्ष में नामा. तस्दीक करने का कोई हक या अधिकार नहीं था। फोती नामा.सं. 2159 से वादी की भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ उनकी बहिन इन्द्राबाई व माता सोहनबाई का नाम दर्ज होने के बाद प्रतिवादी सं. 1 रामेश्वर के पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग किया गया जिसका नामा.सं. 2187 दिनांक 23.10.2023 तस्दीक किया गया। उप पंजीयक द्वारा बिना तथ्यों की जांच पडताल किये वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण के पक्ष में गैर कानूनी रूप से हकत्याग पत्र पंजीयन किया गया। अभिभाषक वादी ने पुनः तर्क किया कि वादी का मुख्य अनुतोष वादी के पूर्व स्थापित खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाना है जबकि रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र को खारीज करना एक सहायक अनुतोष है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा** Pyarelal vs Shubhendra Pilania (Minor) Through on 29 January, 2019 **मामले में एवं राज. उच्च न्यायालय द्वारा ने अपनी विभिन्न निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी प्रकरण में मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारो की घोषणा हो एवं सहायक अनुतोष किसी विधि विरूद्ध दस्तावेज को खारीज किये जाने का हो तो राजस्व न्यायालय दोनो अनुतोष प्रदान करने में सक्षम है। उक्त रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने से प्रभाव शून्य है और इसलिये राजस्व न्यायालय द्वारा खारीज किया जा सकता** है। अतः ग्राम कडोदिया का नामा.सं. 2159 दिनांक 29.07.2020 प्रारम्भ से अवैध व प्रभाव शून्य होने से वादी को उसके खाते की आराजी खाता सं. 45 पुनः खातेदार कृषक दर्ज किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और उक्त इन्द्राज दुरूस्ती के लिए सहमत है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

5. अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि ग्राम कडोदिया के खाता सं. [illegible] 564 है. भूमि वादी की है जिससे प्रतिवादीगण [illegible] राजस्व कार्मिको द्वारा प्रतिवादीगण के पिता [illegible] 48 व 49 के साथ साथ नाम में समानता होने के कारण गलत तरीके [illegible] वादी की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

पर हमारे पक्ष में इन्तकाल खोला गया है जिसे दुरूस्त कर पुनः वादी के खाते दर्ज किया जावे। भूलवश नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण की बहिन इन्द्राबाई व माता सोहनबाई द्वारा हकत्याग प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में दर्ज कर दिया गया जो कि शुरू से ही गलत होने से खारीज किया जावे।

6. अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत ग्रम कडोदिया के फोती नामा.सं. 2159 दिनांक 29.07.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उदयराम पि. शिवलाल जाति कुल्मी के फोत होने पर ग्राम कडोदिया के खाता सं. 45, 46 व 49 उनके वारीसान– रामेश्वर व लालचन्द पुत्र, इन्द्राबाई पुत्री व सोहनबाई बेवा के पक्ष में हिस्सा 1/4, 1/4 का फोती नामा. राजस्व विभाग द्वारा तस्दीक किया गया। खाता सं. 45 वादी उदयराम पि. शिवलाल जाति कुल्मी के खाते दर्ज थी जबकि खाता सं. 46 मृतक उदयराम पि. शिवलाल जाति कुल्मी के खाते एवं खाता सं. 49 मृतक उदयराम पि. शिवलाल जाति कुल्मी हि. 1/6 के सहखाते दर्ज थी। अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण इस तथ्य पर सहमत है कि खाता सं. 45 वादी के खाते की आराजी थी लेकिन मृतक उदयराम पि. शिवलाल कुल्मी के नाम की समानता के कारण खाता सं. 46 व 49 के साथ साथ खाता सं. 45 पर भी फोती नामा. तस्दीक कर दिया गया। तहसीलदार/ग्राम पंचायत द्वारा खाता सं. 45 की बिना जांच पडताल के और वादी को सुने बिना उसके जीवनकाल में फोती इन्तकाल तस्दीक करना गंभीर लापरवाही को व्यक्त करता है। **ग्राम पंचायत/तहसीलदार को किसी जीवित व्यक्ति की आराजी पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में फोती इन्तकाल तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं है।** पटवारी पटवार हल्का कडोदिया एवं भू.अभिलेख निरीक्षक दुबलिया द्वारा बिना जांच पडताल के खाता सं. 45 पर खोला गया फोती नामा.सं. 2159 प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य अन्तरण (Ab-initio transaction) है। **उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामा.सं. 2159 के प्रारम्भ से ही शून्य व विधि [illegible] होने से वादी को खाता सं. 45 किता 3 रकबा [illegible] है. भूमि पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

7. वादी द्वारा पेश नामा.सं. 2187 दिनांक 23.10.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि फोती नामा के बाद खाता सं. 45, 46 व 49 में सहखातेदार दर्ज मृतक उदयराम पि. शिवलाल के वारीसान में से इन्द्राबाई व सोहनबाई द्वारा अपने हिस्से 1/4–1/4 का रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र से प्रतिवादी सं. 1 रामेश्वर के पक्ष में हकत्याग किया गया। हकत्याग पत्र को पंजीयन करते समय भी प्रतिवादीगण द्वारा गलत व झूंठे तथ्यों का हकत्याग पत्र में अंकन कर खाता सं. 45 को अपनी आराजी बताते हुए हकत्याग पत्र तैयार करवाकर उप पंजीयक कार्यालय रायपुर में पेश किया गया। उप पंजीयक एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा भी हकत्याग पत्र के तथ्यों की जांच किये बिना वादी की आराजी खाता सं. 45 का हकत्याग पत्र प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में पंजीयन कर दिया गया। उप पंजीयक का यह कृत्य राजकार्य में गंभीर लापरवाही को व्यक्त करता है। इसी प्रकार नामा.सं. 2226 दिनांक 15.07.2021 के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा गलत व झूंठे तथ्यों के आधार पर वादी की आराजी खाता सं. 45 पर कृषि ऋण लिया गया। ऋणदाता वित्तीय संस्थान बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुनेल द्वारा बिना टाईटल व कब्जे की जांच पडताल किये प्रतिवादी को वादी के खाते व कब्जे की आराजी पर कृषि ऋण स्वीकृत किया गया। कृषि ऋण स्वीकृत होने के बाद पुनः उन्ही पटवारी, भू.अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा तीसरी बार **गंभीर लापरवाही** करते हुए रहन का नामान्तरण दर्ज किया गया।

8. हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारो की घोषणा का चाहा गया है लेकिन वादी को खाता सं. 45 किता 3 रकबा 0.5566 है. भूमि पर खातेदार कृषक घोषित करने के बाद प्रतिवादीगण की भूलवश हुए रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र जिसकी पालना में नामा.सं. 2187 दिनांक 14.10.2024 दर्ज किया गया– को भी खारीज किया जाना आवश्यक है। **यह एक सहायक व अनुवर्ती अनुतोष है।** समान्यतः किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज को Null & Void घोषित करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय का है लेकिन यदि किसी प्रकरण में किसी खातेदार के कृषि आराजी में खातेदारी अधिकारो को विधि विरूद्ध तरीके से समाप्त कर **प्रारम्भ से ही शून्य व विधि विरूद्ध अंतरण** द्वारा कोई दस्तावेज पंजीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

किया जाता है तो राजस्व न्यायालय द्वारा एक बार वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारो की घोषणा किये जाने के बाद ऐसे अवैध हकत्याग पत्र को Null & Void घोषित करने का सहायक अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ऐसे प्रकरणो में पहले राजस्व न्यायालय से वादग्रस्त कृषि आराजी में वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारो की घोषणा होना आवश्यक है। उसके बाद ही पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। किसी पक्षकार के पक्ष में खातेदारी अधिकारो की घोषणा नहीं होने तक किसी दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सक्ष्म सिविल न्यायालय के पास है। **धारा 207 राज.टीनेन्सी एक्ट** की व्याख्याा में स्पष्ट है कि ऐसे कारण हेतुक जिनके संबंध में अनुतोष केवल राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान किये जा सकते हो, तब यह तथ्य सारहीन होगा कि सिविल न्यायालय से चाहा गया अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले अनुतोष से बडा या अतिरिक्त या असदृश्य (Greater than, or in addition to or not identical) है।

9. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा** Pyarelal vs Shubhendra Pilania (Minor) Through on 29 January, 2019 **मामले में अभिनिधारित किया है कि** – "18. The appellant has prayed that the gift deed dated 10 February, 2011 be declared void to the extent of the share claimed by the appellant and that respondent Nos. 1 to 5 be restrained from alienating the share of the appellant. The civil court may decree the relief prayed only if it is first determined that the appellant is entitled to khatedari rights in the suit Property. Under the provisions of the Tenancy Act, the jurisdiction to declare khatedari rights vests exclusively with the revenue courts. Only after such determination may the civil court proceed to decree the relief as prayed. The explanation to Section 207 clarifies that if the cause of action in respect of which relief is sought can be granted only by the revenue court, then it is immaterial that the relief is taken from the civil

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

court is greater than, or in addition to or not identical with the relief which the revenue court would have granted. In view of this matter, the civil court may not grant relief until the khatedari rights of the appellant have been decreed by a revenue court".

"19. A claimant whose khatedari rights have been decreed by a revenue court is however on a different footing from a claimant whose khatedari rights are pending adjudication by a revenue court. Where the khatedari rights are yet to be decreed, a claimant must first approach the revenue courts. The relief to declare the gift deed void and to restrain respondents Nos. 1 to 5 from interfering with or alienating the property vesting in a civil court may be sought for in a suit by a claimant in whom khatedari rights have been decreed by a revenue court".

"22. In the present case, the High Court has proceeded on the basis that the suit seeking a declaration of the gift deed relating to disputed agricultural land situated in Sikar as void and restraining Respondent Nos. 1 to 5 from transfer or sale of the agricultural land before the civil court is squarely covered by the bar to the jurisdiction of the civil court under the provisions of the Tenancy Act.

The claim of the appellant to khatedari rights is pending adjudication by a revenue court which has the exclusive jurisdiction to adjudicate upon such a claim. The appellant has no right to seek relief before the civil court without first getting his khatedari rights decreed by the revenue court. 23 For the above reasons, we find that there is no merit in the challenge preferred by the appellant to the impugned judgment

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

and order of the High Court. The appeals shall, accordingly stand dismissed. There shall be no order as to costs".

10. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बग्गाराम बनाम बालकिशन 2016 में अभिनिधार्रित किया है कि " 27. In light of the aforesaid observations, the present writ petition is dismissed. However, it is made clear that though the issue raised has to be decided by the civil court, but only after once the khatedari rights are determined by the revenue court. Therefore, the stay of suit subjudice is not going to affect the rights of either of the parties. Once the khatedari rights are determined by the revenue court, it shall be open for the petitioners to agitate their suit. It is further made clear that the relief with respect to declaration of the sale deed as null and void can be granted by the revenue court, as laid down in the aforementioned precedent law. Stay Application No.2053/2019 also stands dismissed accordingly."

11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रामपाल बनाम उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ वगै. 2016–17 (Supp.) आरआरटी 299 में अभिनिधार्रित किया है कि "9. Indisputably, the question with regard to declaration of sale deed as null and void as prayed for by the plaintiff in the civil suit is dependent on determination of question as to whether the plaintiff is entitled for declaration of his khatedari right over the land in question. Suffice is to say that the relief with regard to declaration of sale deed as null and void is only ancillary and consequential relief, which can be granted by the revenue Court if it passes a decree for declaration in favour of the plaintiff to the effect that he is entitled to be declared khatedar tenant of the land in question.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

13. Thus, in view of the settled position of law discussed as above, in the consideration opinion of this Court, the order impugned passed by the Court below, rejecting the application preferred by the petitioner is not sustainable in the eyes of law and deserves to be set aside and the application preferred by the petitioner under Sec. 10 CPC deserves to be allowed as prayed for.

14. Accordingly, the writ petition is allowed. The order impugned Dt. 6.9.03 passed by the Additional District Judge, Ratangarh in Civil Suit No. 16/03, is set aside. The application preferred by the petitioner under Sec. 10 CPC is allowed. The proceedings in Civil Suit No. 16/03 pending before the Court of Additional District (5 of 10) Judge, Ratangarh, shall remain stayed pending disposal of the Revenue Suit No. 57/01 preferred by the respondent-plaintiff pending before the Sub Divisional Officer, Sujangarh. No order as to costs."

12. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मनमल बनाम अशोक कुमार आरआरटी 2024(1) पंज सं. 344 में पैरा नं. 11 व 12 में अभिनिर्धारित किया है कि **"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 38 एवं 188–विक्रय विलेख को अकृत व शून्य घोषित करने हेतु वाद**–याची के पिता एस.एम.ने उसके हिस्से से अधिक भूमि को प्रतिवादी सं. से 3 को बेचान की–याची ने नामान्तरकरण न खोलने की भी प्रार्थना की–याची ने आराजी सं. 431–437 में 1/25 हिस्से की खातेदारी की माँग की विचारण न्यायालय ने सम्पत्ति को संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होना माना और एस. एम. के 1/5 वें हिस्से में 1/25 वी हिस्से के लिये वाद डिक्री किया–प्रतिवादीगण ने सजरा स्वीकार किया–वादी द्वारा तनकी सं. को साबित कि[illegible]–निचले तीन न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष कि पिता एस.एम. उसके [illegible] से से अधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

भूमि बेचने का हकदार नहीं था–निर्णीत, याचिका में गुणागुण का अभाव है व खारिज की''।

13 उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम कडोदिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 45 के ख.नं. 1555, 1619, 801 की कुल किता 3 रकबा 0.5564 है. आराजी के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट में स्वीकार किया जाता है। वादी को ग्राम कडोदिया तहसील रायपुर की कृषि आराजी खाता सं. 45 के ख.नं. 1555, 1619, 801 की कुल किता 3 रकबा 0.5564 है. पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। ग्राम कडोदिया के हकत्याग पत्र को वादी के खाता सं. 45 के हद तक Null & Void घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

यह निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/12/24

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner